पौध सामग्री आबंटन प्रक्रिया

1. केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अपनी पौधशाला के माध्यम से उच्च गुणवत्ता के प्रमाणिक पौध तैयार करता है। इन पौधों को प्रमाणिक मात्रवृक्ष (Mother plant) के रूप में लगा कर किसान/विभाग/संस्थायें भविष्य में पौध तैयार कर सकें। पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में मांग होने के कारण सभी को वांछित संख्या में पौध उपलब्ध कराना संस्थान के लिए संभव नहीं है।
2. पौधों का आवंटन अग्रिम मांगपत्र एवं पहले आयें पहले पायें के आधार पर होता है।
3. प्रतिवर्ष 30 जून तक दिये गये मांगपत्र उसी वर्ष के लिए मान्य होंगे हैं। जून 30 के बाद आये मांगपत्रों को अगले वर्ष के आवंटन लिस्ट में सम्मिलित किया जायेगा।
4. आनलाइन बुकिंग के लिए मांगकर्ता को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फार्म को भरकर पौध की मांग को प्रेषित कर सकते हैं।
5. पौधों की बुकिंग आनलाइन गूगल फार्म के द्वारा मान्य है परन्तु विशेष परिस्थितियों में किसानों द्वारा पत्राचार से किये गये निवेदन को भी आवंटन में सम्मिलित किया जाता है।
6. अपनी मांग प्रेषित करते समय अपना आधार नम्बर अवश्य लिखें। एक आधार नम्बर पर एक ही बुकिंग हो सकेगी।
7. जुलाई के द्वितीय सप्ताह के बाद पौध सामग्री आंबटन, पौधों की उपलब्धता के आधार पर करके सूचित किया जायेगा।
8. आवंटित पत्र को मांगकर्ता की ईमेल /दिये गये पते पर साधारण डाक द्वारा भेजा जायेगा। ईमेल द्वारा भेजी गयी मांग की सूचना ईमेल द्वारा ही दी जायेगी। अतः अपना सही ईमेल प्रदान करें।
9. आवंटित पत्र में पौध सामग्री को खरीदने का समय 10 दिन बाद तक दिया जाता है यदि इस अवधि में मांगकर्ता द्वारा आवंटित पौध सामग्री नहीं उठायी जाती है तो उसका आवंटन स्वतः रद्द हो जायेगा।
10. बुक कराते समय दिया गया पता व् आधार नंबर की छाया प्रति उपलब्ध कराने पर पौध मिल सकेगी। पौध सामग्री को ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था क्रेता को स्वयं करनी होगी।
11. किन्ही कारणों से यदि आंबटी पौध ले जाने के लिए अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है तो उसे अधिकृत व्यक्ति का विवरण, उसका आधार कार्ड की प्रति के साथ लिखित आवेदन कर पूर्व अनुमति संस्थान के निदेशक से लेना अनिवार्य होगा।
12. आवंटित पौध सामग्री का मूल्य का भुगतान ICAR Unit CISH, खाता संख्या 1153012101000034 आई.एफ.एस.सी. कोड PUNB0619500 शाखा पंजाब नेशनल बैंक, रहमानखेड़ा, लखनऊ को देय एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट/एन.ई.एफ.टी. /आर.टी.जी.एस./यू.पी.आई./प्रीपेड कार्ड/ए.टी.एम. कार्ड के द्वारा स्वीकार किया जायेगा नगद भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. संस्थान के बैंक खाते में किसी प्रकार की नकद राशि जमा न करायें अन्यथा इसको स़ंज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
14. मांगकर्ता से अग्रिम राशि/Advance भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. पौध आवंटन में पौधशाला द्वारा तैयार पौध व् मांग को संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है किसानो/भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों को शोधकर्ताओं के लिए / केन्द्रीय व राज्य के कृषि विश्वविद्यालय/ राज्य सरकारों के बागवानी/ कृषि विभाग/ कृषि विज्ञान केंद्र/ गैर सरकारी संगठनों को आवश्यकतानुसार वरीयता दी जाती है।